केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/50618 दिनांक 26.10.2017

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 23.10.2017 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1 एवं 2	आयोग में बिना प्रथम अपील लगाए सीधे अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत करने का अधिकार है या नहीं – यह एक प्रश्न है, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः इसका उत्तर देने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ हैं । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो कि आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है ।
बिंदु सं. 3 एवं 5	आपका यह ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन सीधे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 23.10.2017 को प्राप्त हुआ है, तथा दिनांक 26.10.2017 को सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है । इस आर.टी.आई. आवेदन को निपटाने में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है ।
बिंदु सं. 4	इस आर.टी.आई. के निपटाने के लिए नोटिंग की आवश्यकता नहीं थी । अतः नोट की प्रति उपलब्ध करववाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
बिंदु सं. 6.	श्री आरसिंह .के ., अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अंपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल